न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0

प्रार्थना — पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. व सिलसिले मुकदमा नम्बर 129/2013 उनवानी नत्थी बनाम राधेश्याम वगै0

आदेश

दिनांकः— 22—11—2018

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण राधेश्याम पुत्र रामगोपाल, रूपकिशोर पुत्र दौलीराम जाति ब्राह्मण निवासी गॉवड़ी तहसील व जिला भरतपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा वादपत्र आराजी खसरा नम्बरान 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 किता 11 रकबा 2.62 हैक्टेयर वाके ग्राम रूंध इकरन तहसील भरतपुर के बावत् पेश किया है। वादी ने अपने दावा में यह अंकित किया है कि उपरोक्त आराजी राजस्व कर्मचारियों से साज करके प्रतिवादीगण के नाम करा दी है जो धारा 42 आर.टी.एक्ट से बाधित है, लेकिन वादी का यह कथन गलत है और दावा के साथ असत्य शपथ—पत्र भी पेश किया है। किन्तु वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं कि उपरोक्त आराजी पर वादी द्वारा एस.बी.बी.जे. भरतपुर से ऋण ले रखा था, जो वादी ने अदा नहीं किया तो बैंक द्वारा वसूली की कार्यवाही की गई है और उक्त कार्यवाही में बैंक ने वसूली हेतु एस.डी.ओ. भरतपुर के द्वारा नीलामी से आराजी का रजिस्टर्ड वयनामा क्रमांक 563 दिनांक 16.06.1986 को करा दिया। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 6 दिनांक 26.06.1986 को नायब तहसीलदार भरतपुर द्वितीय द्वारा प्रतिवादीगण के हक में स्वीकृत किया गया। इस कारण प्रतिवादीगण के इन्द्राज उक्त वयनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर दर्ज हुए हैं।

वादी के अधिकार वादग्रस्त आराजी के संबंध में एस.बी.बी. जे. भरतपुर में निहित हो गए हैं तथा बैंक द्वारा आराजी का वयनामा प्रतिवादीगण के हक में कराया है। इस कारण वादी को

कोई वाद हेतुक भी आराजी के बावत नहीं हुआ है। इसी आधार पर वादपत्र काबिल खारिज के है।

एस.डी.ओ. भरतपुर द्वारा आराजी का विक्रय पत्र क्रमांक 563 दिनांक 16.06.1986 से एक आदेश भी इस बावत पेश किया जो अन्तिम हो चुका है। जिसकी कोई अपील वादी द्वारा किसी भी सक्षम अदालत में नहीं की गई है। वादी विरुद्ध धारा 11 सी. पी.सी. प्रावधान का सिद्धान्त लागू होता है।

विवादित आराजी का प्रतिवादीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड वयनामा हुआ है और वयनामा के आधार पर प्रतिवादीगण के इन्द्राज खातेदारी में दर्ज हुए हैं और वयनामा को शून्य कराए बिना वादी कोई भी अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है तथा वयनामा को शून्य करने का अधिकार भी सिविल न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई का अधिकार न होने से वादपत्र काबिल खारिज है।

इस प्रकार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर दावा वादी इसी स्टेज पर खारिज करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में वादी/अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है क्योंकि एस.सी. की जमीन को नॉन–एस.सी. बोली में नहीं ले सकता क्योंकि आर.टी. एक्ट की सैक्शन 42 वॉइड करती है जो भी कार्यवाही हुई है वह कानून के खिलाफ है। उपखण्ड अधिकारी को कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। वयनामा अगर कोई है तो वह वॉइड है। एस.सी. ने अगर अपनी जमीन बैंक में रहन रखी है तो नीलामी में भी बोली एस.सी. का व्यक्ति ही लगा सकता है, नॉन एस.सी. बोली नहीं लगा सकता। एस.सी. की जमीन है, वह नॉन एस.सी. के नाम नहीं हो सकती क्योंकि धारा 42 का उल्लंघन होता है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। वादी ने अपने दावा में यह अंकित किया है कि वाके ग्राम रूंध इकरन तहसील व जिला

भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बरान 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 किता 11 रकबा 2.62 हैक्टेयर वादी की खातेदारी का है और बंदोबस्त विभाग ने उपरोक्त खसरा नंबरान को प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दिया है। जबकि वादी ने किसी को आराजी न तो सबलेट की है और न ही बेची है। बंदोबस्त विभाग का यह कार्य गैर कानूनी है। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जावे। उपरोक्त दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त खसरा नंबरान बंदोबस्त विभाग ने प्रतिवादीगण के नाम नहीं किये हैं बल्कि वादी ने उन खसरा नंबरान पर एस.बी.बी.जे. भरतपुर से ऋण लिया था, जिसे चुकाया नहीं गया। बैंक के द्वारा वसूली कार्यवाही की गई और उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिये जाने पर तहसीलदार ने आराजी की नीलामी की तथा आराजी का रजिस्टर्ड वयनामा क्रमांक 563 दिनांक 16.06.1986 को प्रतिवादीगण के हक में करा दिया। जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 06 दिनांक 26.06.1986 को नायब तहसीलदार द्वितीय भरतपुर द्वारा प्रतिवादीगण के हक में स्वीकृत किया। इस प्रकार उक्त आराजी प्रतिवादीगण के हक में जरिये वयनामा आई है। बंदोबस्त विभाग ने त्रुटिपूर्वक आराजी को प्रतिवादीगण के नाम नहीं किया है। अतः दावा वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नामांतकरण सं0 06 दिनांक 26.06.1986 पेश किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि आराजी का नीलामी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 563 दिनांक 16.06.1986 को वादीगण के हक में निष्पादित किया गया है। जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 06 दिनांक 26.06.1986 प्रतिवादीगण के हक में स्वीकृत हुआ। जिससे यह स्पष्ट साबित हो जाता है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के हक में आई है न कि बंदोबस्त विभाग की त्रुटि से। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी ने आराजी हस्तान्तरण की बावत वादपत्र में बंदोबस्त विभाग की गलती बताई है, परन्तु जवाब प्रार्थना पत्र में अन्य तथ्य बता रहा है, जो विरोधाभासी है। इसके अलावा वादी ने अपने वादपत्र के साथ कोई भी ऐसे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाता हो कि यह हस्तांतरण बंदोबस्त विभाग की गलती से हुआ है। इसके अलावा वादपत्र में वादी द्वारा दिनांक 06.10.2013 को धमकी देना बताया गया है जबकि आराजी का नामांतकरण संख्या 06 दिनांक 26. 06.1986 को स्वीकृत हो चुका था।

वादी ने जान–बूझकर वयनामा के तथ्यों को छिपाकर यह वादपत्र पेश किया है जो क्लीन हैण्ड से किया जाना प्रतीत नहीं होता है। यदि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आता, तो वह स्पष्ट रूप से दावा में अंकित करता कि उसने आराजी पर ऋण लिया था जिसे अदा नहीं कर पाया। इस कारण आराजी को बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और प्रतिवादीगण के हक में वयनामा करा लिया। जबकि आराजी अनुसूचित जाति की है जो सवर्ण को हस्तांतरित नहीं हो सकती है। लेकिन वादी ने उपरोक्त वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए बंदोबस्त विभाग की त्रुटि बताकर असत्य वादपत्र पेश कर दिया है। इस कारण वाद हेतुक भी प्रकट नहीं होता। वाद कारण प्रकट नहीं होने से यह दावा असत्य तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने से दावा वादी मैण्टेनेबल नहीं है।

इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। दावा वादी मैण्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22. 11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

Web Copy - Not Official